



नीतिशा नागपाल संग मैशा नागपाल।



डॉ. राजीव बांसल संग डॉ. मीनाक्षी बांसल।

सैलफ़ी स्टार



साक्षी अपने बेटे के साथ।



राजकुमार अपने दोस्त अमन के साथ।



नैना अपनी सहेली छवी के साथ।

पंजाब केसरी

सदा आपके साथ

जलदिली डिजिटल ऑनलाइन

फोटो हमें मेज़ें। प्रकाशन विशुल डेग्मा

selfiepkjammu@gmail.com

whatsapp

9419186296

नोट -मेल में नाम, माता-पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।

गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज के अराजपत्रित कर्मचारियों ने तीन माह के लिए स्थगित किया आंदोलन

कटुआ, 16 मई (महाजन) गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज कटुआ के अराजपत्रित कर्मचारियों ने लंबे समय से लंबित सेवा एवं भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के संबंध में प्रशासन से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपना आंदोलन तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया है। कर्मचारियों पिछले छह दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और सेवा एवं भर्ती नियमों को शीघ्र लागू करने की मांग कर रहे थे।

कर्मचारियों का कहना था कि नियमों के लंबित रहने के कारण पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, वेतन विसंगतियों के समाधान तथा गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज जम्मू और गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज श्रीनगर के कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलने

तेंदुए ने दर्जनों पशुओं को बनाया शिकार, लोगों में दहशत

रामकोट, 16 मई (केसरी ब्यूरो): गत रात रामकोट तहसील की पंचायत डेरली में तेंदुए ने दर्जनों पशुओं को अपना शिकार बना डाला है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। लोगों ने देर सवेर घरों से पशुओं को निकालना बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन और विशेष रूप से वाइल्डलाइफ विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए कहा है, ताकि ग्रामीण अपनी दिन चार्य बिना किसी खोफ के मारे घर से निकल सकें।

अंचल सिंह ने बताया कि उनके इलाके में तेंदुए कहर ढा रहे हैं, अभी तक तेंदुआ दर्जनों पशुओं को अपना शिकार बना चुका है, मगर न तो प्रशासन और ना ही वाइल्ड लाइफ विभाग इस तरह कोई ध्यान दे रहा है। हालांकि वह यह बात कई बार उनके नोटिस में ला चुके हैं। तेंदुआ के अंतक से लोगों ने देर सवेरे घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है।

इसके अलावा ग्रामीणों ने अब अपने पशुओं को भी घरों से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, जिसे पशुपालन और खेतीवाड़ी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

गांधी नगर, जम्मू

शुद्धिपत्र

दिनांक: 16.05.2026

अधिकृत अधिकारी

जम्मू-कश्मीर के मात्र 16 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल शिक्षा अब भी बड़ी चुनौती

बड़ी संख्या में स्कूल अब भी पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था पर निर्भर

जम्मू, 16 मई (विवेकी): देशभर में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच जम्मू-कश्मीर के अधिकांश सरकारी स्कूल अब भी स्मार्ट कक्षाओं जैसी आधुनिक सुविधाओं से दूर हैं।

शिक्षा मंत्रालय की यू-डाइस प्लस (यू-डाइस प्लस) 2024-25 रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की मौजूदा स्थिति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर में कुल 18,785 सरकारी स्कूल संचालित हैं, लेकिन इनमें से केवल

3,082 स्कूलों में ही स्मार्ट कक्षा सुविधा उपलब्ध है। यानि प्रदेश के लगभग 16.4 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में ही स्मार्ट कक्षाएं मौजूद हैं, जबकि बड़ी संख्या में स्कूल अब भी पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था पर निर्भर हैं।

आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश सरकारी स्कूल ग्रामीण, पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां इंटरनेट, कंप्यूटर, बिजली और अन्य डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता अब भी

कई स्कूलों में आधारभूत ढांचे की कमी के कारण तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था का विस्तार अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है।



डिजिटल शिक्षा के मामले में कई राज्य जम्मू-कश्मीर से आगे

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि डिजिटल शिक्षा के मामले में कई अन्य राज्य जम्मू-कश्मीर से आगे हैं। आंकड़ों के अनुसार पंजाब के लगभग 96 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षा सुविधा उपलब्ध है, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा करीब 44 प्रतिशत दर्ज किया गया है। हरियाणा और केरल जैसे राज्यों में भी जम्मू-कश्मीर की तुलना में अधिक सरकारी स्कूल स्मार्ट कक्षाओं से जुड़े हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि स्मार्ट कक्षाएं विद्यार्थियों को दृश्य आधारित और तकनीक समर्थित शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने से विद्यार्थियों की समझ और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

3 दुकानों में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के उपरांत पाया काबू

अखनूर, 16 मई (किशोर): कस्बे के पन्नु चौक के पास 3 दुकानों में भीषण आग लगने से दुकानों में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग को काबू करने के लिए 20 फायर ब्रिगेड और लोकल गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया। 15 घंटों के उपरांत देर रात तक आग पर काबू पाया गया।

जानकारी के अनुसार कस्बे के पन्नु चौक के पास कावेंट स्कूल के सामने पी.के. हार्डवेयर की 4 चार मंजिला दुकान पर शनिवार सुबह कुछ लोगों में आग की लपटें निकलती देखीं। देखते ही देखते आग की चपेट में एक अन्य 4 मंजिला हार्डवेयर और हलवाई की दुकान आ गया।

हार्डवेयर की दुकानों में रखा पेंट और कैमिकल की वजह से आग इतनी भीषण हो गई की फायर ब्रिगेड



दुकानों में लगी भीषण आग व आग पर काबू पाते फायर ब्रिगेड कर्मचारी।

कर्मचारियों को आग पर काबू कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, देर रात तक आग पर काबू पाया गया।

फायर ब्रिगेड और पुलिस ने दुकानों को पीछे की दीवारों जे.सी.बी से तोड़नी पड़ी। हालांकि आग दुकानों के बाहर आ रही थी। इस पर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मौके पर बड़ी संख्या में आस-पास लोग एकत्रित हो गए।

अखनूर-ज्यौडिया रोड पर आग लगी दुकानें होने पर दोनों ओर से पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था बंद कर दी, जिससे लोगों को पैदल ही पन्नु चौक से अखनूर कस्बे में आवाजाही करनी पड़ी। शनिवार दोपहर आग कम होने पर पुलिस ने यातायात की आवाजाही सुचारु कर दी।

आग लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने के लिए अखनूर सहित जम्मू के



दुकानों के पीछे दीवार को तोड़ती जी.सी.बी।

जानीपूर, गांधी नगर से करीब 20 फायर ब्रिगेड और लोकल जलशक्ति विभाग की गाड़ियों को आग पर काबू प्रयोग किया। हालांकि समय रहते आस-पास 5 अन्य दुकानों से आग चपेट में आने से बचा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर के जांच शुरू कर दी

लोगों का कहना है आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जल करके राख हो गया।

डी.एल.एस.ए. ने विशेष लोक अदालत के सुचारु संचालन के तौर-तरीकों पर की चर्चा

ऊधमपुर, 16 मई (केसरी ब्यूरो): जम्मू-कश्मीर विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के निर्देशों के अनुपालन में, जिला विधि सेवा प्राधिकरण ऊधमपुर की उप-न्यायाधीश/सचिव सुमति शर्मा ने आज परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 के तहत मामलों के लिए आगामी विशेष लोक अदालत के संबंध में एक बैठक बुलाई।

बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेखा कपूर निश्चल्य सब-जज/विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट पूजा रैना, मुंसिफ जे.एम.आई.सी. नौना ठाकुर, अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट आकाश दीप और ऋषभ कौशल उपस्थित थे। बैठक में विशेष लोक



डालसा की टीम लोक अदालत को लेकर चर्चा करती हुई।

अदालत के प्रभावी और सुचारु संचालन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

न्याय की त्वरित और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लंबित चैक बाउंस मामलों की पहचान करने और सौहार्दपूर्ण निपटान को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया। न्यायिक अधिकारियों ने सहमति और

आपसी समझौते के माध्यम से पात्र मामलों के निपटान को अधिकतम करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, समन्वय तंत्रों और रणनीतियों पर चर्चा की।

बैठक में विवादों के शीघ्र और किफायती समाधान के लिए लोक अदालत तंत्र का लाभ

उठाने के लिए याचिकाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

डी.एल.एस.ए. के सचिव ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रति कानूनी सेवा प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दोहराया।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 37 वाहनों के काटे ई-चालान, 9 वाहन जब्त

बटोत, 16 मई (अर्पणा): रामबन के उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान और एस.एस.पी. रामबन अरुण गुप्ता की देख-रेख में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान, 175 से अधिक वाहनों का गहन निरीक्षण किया गया, जिनमें से 37 वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए ई-चालान जारी किए गए, जिसमें अनुमानित जुर्माना राशि 1,52,500 रुपए है। इस अभियान के दौरान 9 वाहन जब्त किए गए, जबकि गंभीर उल्लंघनों के लिए 9 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की गई।

अभियान के दौरान पकड़े गए प्रमुख अपराधों में ओवरलोडिंग, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी

चलाना, टोकन टैक्स का भुगतान न करना, बीमा की समय सीमा समाप्त होना और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) की समय सीमा समाप्त होना शामिल थे।

अभियान के दौरान, एआरटीओ रामबन, वरुण भासिन ने चालकों और परिवहन संचालकों को यातायात नियमों और विनियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने ओवरलोडिंग और अन्य उल्लंघनों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर वाहनों की जब्त, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और रूट परमिट के निलंबन या रद्द करने सहित कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



(सोहन)

उन्होंने मांग की कि जम्मू-कश्मीर को भी संवैधानिक विशेष सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में शामिल किया जाए, जैसा कि देश के कई पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्यों को धारा 371 के तहत प्राप्त है।



जम्मू (मगोत्रा): अभिनव थिएटर में आयोजित भव्य और भावपूर्ण समारोह में नटरंग ने अपना 44वां स्थापना दिवस एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया। कार्यक्रम में उन दिग्गजों को सम्मानित किया गया, जिनकी लगन और कलात्मक प्रतिभा ने नटरंग को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक संस्थान में बदल दिया। ये सम्मान मुख्यातिथि डा. देवांश यादव, आई.ए.एस. आयुक्त जम्मू नगर निगम द्वारा प्रदान किए गए। (सोहन)

नेताओं को भाजपा की मूल विचारधारा का पढ़ाया पाठ

जम्मू (संजीव): भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शनिवार को जम्मू जिले जिसमें जम्मू जिले और जम्मू दक्षिण के नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्र शिक्षण महा अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की अध्यक्षता भगवती नगर में जम्मू जिले के नेताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सत शर्मा ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा और महा अभियान के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जारी दी। इस अवसर पर बाहु विधानसभा क्षेत्र के विधायक चौधरी विक्रम रंधावा, महासचिव बलदेव सिंह बलोरिया आदि मौजूद रहे।



शनी शिला को पंचगव्य से स्नान कराकर की विशेष पूजा



जम्मू (उदय): शनि जयंती के उपलक्ष्य पर शनिवार को बाबा कैलख देव मंदिर में स्थित श्री शनि मंदिर में प्रबन्धक कमेटे द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रातःकाल शनी शिला को पंचगव्य से स्नान कराकर विशेष पूजा की गई। सांयकाल में विश्व शांति और सब प्राणियों की मंगलकामना के लिए हवन किया गया। ततपश्चात खिचड़ी हलवा और काले का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रबन्धक कमेटे के प्रधान शक्ति दत्त शर्मा, प्रभाकर खजुरिया, अक्षय कुमार, साहिल सेठ, मोहिंदर सेठ, विजय बारना, पण्डित केवल कृष्ण सेठ आदि उपस्थित रहे। (सोहन)

शनि जयंती पर बस स्टैंड पर किया भंडारे का आयोजन

अखनूर (बब्बी): शनि जयंती के उपलक्ष्य में बस स्टैंड अखनूर पर भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें आने जाने वाले राहगीरों में भोजन वितरित किया गया। बिक्की कुमार, राहुल कुमार व अमित गुप्ता की अगुवाई में आयोजित किए गए बस स्टैंड पर भंडारे में राहगीरों को ठंडा मीठा पेयजल के साथ भोजन वितरित किया।



छात्रों पर पाबंदी नहीं, शिकायतों की निष्पक्ष जांच करे प्रशासन : ए.बी.वी.पी

जम्मू 16 मई (रितेश): अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू-कश्मीर ने कटुआ जिला प्रशासन द्वारा छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों में भाग लेने को लेकर जारी किए गए हालिया सुर्कुल पर गंभीर चिंता जताई है।

संगठन ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा, अनुशासन और शैक्षणिक माहौल बनाए रखना जरूरी है, लेकिन पूरी तरह से रोक लगाना लोकतांत्रिक और सकारात्मक समाधान नहीं हो सकता। ए.बी.वी.पी. ने कहा कि प्रशासन को छात्रों, अभिभावकों और

आम लोगों द्वारा उठाई गई शिकायतों की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच करनी चाहिए, बजाय इसके कि सुर्कुल जारी कर छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जाए। उन्होंने उपायुक्त कटुआ और संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे संतुलित और संवेदनशील रवैया अपनाएं, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित न हों और लोकतांत्रिक अधिकारों तथा जनभावनाओं का भी सम्मान बना रहे।

प्रतिबंधित पदार्थों सहित 5 गिरफ्तार, वाहन जब्त

जम्मू/श्रीनगर, 16 मई (अरुण): समाज में मादक पदार्थों की तस्करी एवं सेवन के के खतरे पर नकेल कसने के अपन प्रयासों को जारी रखते हुए कश्मीर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए हैं।

जानकारों के अनुसार जिला

अनंतनाग के संगम चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस के एक दल द्वारा संदेह क्षेत्र में लगाए गए नाके पर सड़हे के आधार पर जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रहे एक वाहन को जांच के लिए रोका, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। संदिग्ध वाहन की तलाशी के दौरान उसमें से 12.7 ग्राम हैराइन जैसा पदार्थ बरामद होने पर पुलिस द्वारा उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर उनके वाहन को भी जब्त कर लिया गया। आरोपियों की पहचान सुहेल निवासी श्रीनगर, फरहान अहमद निवासी शोपिया एवं उजेर अहमद निवासी डुरू के तौर पर की गई है। वहीं संगम चौकी की ही एक पुलिस टीम ने अपनी रोजमर्रा गश्त



पुलिस हिरासत में आरोपी एवं उनसे बरामद समग्री।

के दौरान नैना पुल के निकट सरताज अहमद निवासी बटपोरा के कब्जे से 19 ग्राम ब्राउन शूगर जैसा पदार्थ बरामद कर उसे हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस जिला शोपिया के इमामसाहब थाना प्रभारी की देखरेख में पुलिस ने चंचवाड़ चौराहे पर लगाए गए नाके पर जांच के दौरान मोहम्मद अशरफ निवासी इमामसाहब के कब्जे से तीन सौ पोस्ट चूरा जैसा पदार्थ बरामद कर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ निरोधी अधिनियम (एन.डी.पी. एस.एक्ट) की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाही आरंभ कर दी है।